न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 35/2022

1 अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद हनीफ खत्री जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.10 सीकर तहसील व जिला सीकर।

2 सागरमल धायल पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी झरी तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील रींगस जिला सीकर।

3 हरिशंकर पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4 श्रीमती संजू डसानिया पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र बीरबल सिंह जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

2 सांवरमल पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी पावण्डा की ढ़ाणी नवोड़ी तन ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

3 भींवाराम पुत्र भोमाराम।

4 बनवारी पुत्र भोमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी ईश्वरकावाली तन पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 भींवाराम पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

6 संतोष देवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी मोहबतसर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 छोटी देवी पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी थालोड़ी की ढाणी श्यामपुरा पूर्वी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

8 श्रीमती रेखा पूनियां पत्नी अविनाश जाति जाट निवासी श्यामपुरा जिला झुंझुनू हाल निवासी पलेट नम्बर डी 907 वास्तुग्राम सूरत गुजरात।

9 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

10 आशाराम पुत्र महादेव सिंह जाति जाट निवासी ढाणी साखुनिया तन भोपतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेंट

पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक
14.12.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला
प्रकरण सांवरमल बनाम मोहनलाल आदि मुकदमा
नम्बर 23/2018

अपील संख्या 36/2022

1 अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद हनीफ खत्री जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.10 सीकर तहसील व जिला सीकर।

2 सागरमल धायल पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी ढाणी झरी तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील रींगस जिला सीकर।

3 हरिशंकर पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4 श्रीमती संजू डसानिया पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 मोहनलाल पुत्र बीरबल सिंह जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

2 सांवरमल पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी पावण्डा की ढ़ाणी नवोड़ी तन ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

3 भींवाराम पुत्र भोमाराम।

4 बनवारी पुत्र भोमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी ईश्वरकावाली तन पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 भींवाराम पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी सामोता का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

6 संतोष देवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी मोहबतसर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

7 छोटी देवी पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी थालोड़ो की ढ़ाणी पूर्वी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

8 श्रीमती रेखा पुनिया आयु 32 वर्ष पत्नी अविनाश पुनिया जाति जाट निवासी श्यामपुरा जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी पलेट नं. – डी. 907 वास्तुग्राम सूरत गुजरात

9 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज.

10 आशाराम पुत्र महादेव सिंह जाति जाट निवासी ढाणी साखुनिया तन भोपतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध प्रारम्भिक डिकी आदेश
दिनांक 09.10.2019 न्यायालय सहायक
कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला प्रकरण
सांवरमल बनाम मोहनलाल मु.नं. 23/2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 21/2022

1 मोहनलाल आयु 52 वर्ष पुत्र बीरबल सिंह जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1 सांवरमल आयु 40 वर्ष पुत्र खेमाराम जाट निवासी पावण्डा की ढाणी, नवोड़ी तन ग्राम पटवारी का बास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

2 भींवाराम आयु 46 वर्ष पुत्र भोमाराम

3 बनवारी आयु 42 वर्ष पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ढाणी ईश्वरकावाली तन पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

4 भींवाराम आयु 52 वर्ष पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी सामोता का बास, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

5 अब्दुल हमीद आयु 37 वर्ष पुत्र मोहम्मद हनीफ खत्री जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

6 संतोष देवी आयु 49 वर्ष पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी मोहबतसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

7 छोटी देवी आयु 52 वर्ष पत्नी सीताराम चौधरी जाति जाट निवासी थालोड़ो की ढाणी, श्यामपुरा पूर्वी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

8 श्रीमति रेखा पुनियां आयु 32 वर्ष पत्नी अविनाश पुनिया जाति जाट निवासी श्यामपुरा जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी पलेट नं. – डी.907 वास्तुग्राम सूरज गुजरात

9 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज.

10 आशाराम पुत्र महादेव सिंह जाति जाट निवासी ढाणी साखुनिया तन भोपतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

11 सागरमल धायल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति जाट निवासी ढाणी झरी तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील रींगस, जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 हरिशंकर जाट उम्र 37 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम जोरावर नगर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
13 श्रीमती संजू डसानिया उम्र 33 वर्ष पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री आदेश दिनांक 09.10.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला प्रकरण सांवरमल बनाम मोहनलाल मु.नं. 23/2018

अपील संख्या 02/2022

1 मोहनलाल आयु 52 वर्ष पुत्र बीरबल सिंह जाति जाट निवासी लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1 सांवरमल आयु 40 वर्ष पुत्र खेमाराम जाट निवासी पावण्डा की ढाणी, नवोड़ी तन ग्राम पटवारी का बास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2 भींवाराम आयु 46 वर्ष पुत्र भोमाराम
3 बनवारी आयु 42 वर्ष पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ढाणी ईश्वरकावाली तन पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 भींवाराम आयु 52 वर्ष पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी सामोता का बास, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

5 अब्दुल हमीद आयु 37 वर्ष पुत्र मोहम्मद हनीफ खत्री जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10, सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

6 संतोष देवी आयु 49 वर्ष पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी मोहबतसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

7 छोटी देवी आयु 52 वर्ष पत्नी सीताराम चौधरी जाति जाट निवासी थालोड़ो की ढाणी, श्यामपुरा पूर्वी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

8 श्रीमति रेखा पुनियां आयु 32 वर्ष पत्नी अविनाश पुनिया जाति जाट निवासी श्यामपुरा जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी पलेट नं. – डी.907 वास्तुग्राम सूरज गुजरात

9 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज.

10 आशाराम पुत्र महादेव सिंह जाति जाट निवासी ढाणी साखुनिया तन भोपतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

11 सागरमल धायल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति जाट निवासी ढाणी झरी तन ग्राम कोटड़ी धायलान तहसील रींगस, जिला सीकर राज.।

12 हरिशंकर जाट उम्र 37 वर्ष पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम जोरावर नगर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

13 श्रीमती संजू डसानिया उम्र 33 वर्ष पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2021
न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट
ट्रेक खण्डेला प्रकरण सांवरमल बनाम मोहनलाल
मु.न. 23/2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 12.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत चारों अपीलें एक ही मूलवाद में पारित प्राथमिक एंव अंतिम डिक्री के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। चारों अपीलों के पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से चारों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला के यहां वाद पत्र बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया की भूमि खसरा नम्बर 1486/2 रकबा 0.7250 हैक्टर ग्राम बावडी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. में अवस्थित है जिसमें अपीलान्ट का हिस्सा 3067/7250 रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का 1009/7250 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का 563/7250 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का 952/9000 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का 1038/7250

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर

हिस्सा, रेस्पोडेन्ट 8 का 621/7250 हिस्सा की खातेदारी नाम दर्ज चली आ रही है। भूमि खसरा संख्या 1486/2 में से वादी नं. 1 ने 627/7250 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व 3 ने 295/7250 हिस्सा की भूमिया जरिये विलेख पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से कय कर काबिज चले आ रहे है। वादीगण अपने विकय लेख से कयशुदा हिस्सा के मुताबिक मौके पर बाहमी बंटवारा करके काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमियों का विधिवत बंटवारा किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 1486/2 रकबा 0.50 हैक्टर में वादी नं. 1 को 627/7250 हिस्सा का, वादी नं. 2 व 3 को 295/7250 हिस्सा का विकय लेख के आधार पर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इश्तदुआ चाही गयी। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 09.10.2019 को प्राथमिक डिकी जारी की एवं दिनांक 14.12.2021 को अंतिम डिकी जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह चारों अपीलें प्रस्तुत की गई है। इनमें अपील संख्या 21/2022, 36/2022 एवं 35/2022 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्ततु की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में तामीली कार्यवाही सम्यक रूप से नहीं की गई है। दौराने तामील अपीलांट विदेश में रहा है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वकालतनामा एवं विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर फर्जी है। सम्यक तामील के अभाव में पारित प्राथमिक डिकी विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव विधि अनुसार तैयार नहीं किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारों के कब्जे के विपरित तैयार किये गये है। विवादित भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिशंकर व मोहनलाल की पक्की दुकान निर्मित होने के बावजूद भी इस भूमि को आशाराम को विभाजन प्रस्ताव में दे दिया गया है। विचारण न्यायालय में सम्पूर्ण पक्षकारों की तामील होने से पूर्व ही प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। किसी कारणवश अपील मियाद में नहीं माने जावें तो धारा 5 का लाभ दिया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारों सम्यक तामील हुई है। बाद तामील, बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। तहसीलदार खण्डेला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनकर बाद सुनवाई अंतिम डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट अब्दुल हमीद की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट ने वादीगण को हैरान परेशान करने के लिए यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन की देरी का कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति होने के कारण अपीलांट मियाद का लाभ लेने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में तामीली कार्यवाही सम्यक रूप से नहीं की गई है। दौराने तामील अपीलांट विदेश में रहा है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वकालतनामा एवं विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया संदेह के घेरे में है। सम्यक तामील के अभाव में पारित प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव विधि अनुसार तैयार नहीं किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारों के कब्जे के विपरित तैयार किये जाने का कथन किया गया है। विवादित भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिशंकर व मोहनलाल की पक्की दुकान निर्मित होने के बावजूद भी इस भूमि को आशाराम को विभाजन प्रस्ताव मे देने का आक्षेप भी है। विचारण न्यायालय में सम्पूर्ण पक्षकारों की तामील होने से पूर्व ही प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की जवाबदेही प्राप्त कर तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ब[illegible]राम धोलक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर